

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

आवेदन सं. 337 / 2025 अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट, 1956

हरकेन बनाम चंदु वगैरा

पीठासीन अधिकारी—बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

प्रार्थी वकील—श्री महिपालदान चारण

निर्णय

दिनांक— 24/12/25

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री महिपालदान चारण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी व मालिकाना हक हकूक व कब्जा काशत का खेत तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र शौभाला दर्शन के भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के मौजा थौरियो की बस्ती के खेत खाता संख्या नया 41 के खसरा संख्या 879/571 रकबा 0-0161 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 881/572 रकबा 0-6198 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढों को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पैमाइश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों यथा—खसरा नक्शा एवं जमाबंदी तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अवलोकनोपरांत जाहिर होता है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है। अस्तु, प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण के उपरांत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र शौभाला दर्शन के भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के मौजा थौरियो की बस्ती के खेत खाता संख्या नया 41 के खसरा संख्या 879/571 रकबा 0-0161 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 881/572 रकबा 0-6198 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी कार्य हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकिल/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विचारित प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, तो वह हल्का पटवारी के साथ उभय पक्षों के रूबरू विवादित भूमि के मौके व कब्जे काशत में परिवर्तन के बिना मुस्तकिल/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व नियमानुसार नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। मौक पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत (यदि आवश्यकता हो तो) तहसीलदार को नियमानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को आदेश दिया जाता है।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज

दिनांक 24.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/2025

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO) सेड़वाजिलाबाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. हरकेन पुत्र पेलाद जाति विश्नोई, निवासी थोरियों की बस्ती, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	1. चंदु पुत्री जोधा 2. पारु पुत्री जोधा 3. भीखा पुत्र जोधा 4. मोहन पुत्र मुकना 5. राजी पत्नी मुकना 6. हनुमान पुत्र मुकना 7. सुरता पुत्र मंगला 8. जगराम पुत्र मंगला जाति विश्नोई, निवासी थोरियों की बस्ती, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 9. दयाराम पुत्र सोनाराम 10. करनाराम पुत्र सोनाराम 11. जेठाराम पुत्र सोनाराम 12. प्रेमराम पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई, निवासी सदराम की बेरी, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर। 13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।
बनाम	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम, 1956 वास्ते नेखमबंदी।

राजस्व आवेदन संख्या 337 / 2025

निर्णय दिनांक :-24.12.2025

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र शौभाला दर्शन के भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के मौजा थोरियों की बस्ती के खेत खाता संख्या नया 41 के खसरा संख्या 879 / 571 रकबा 0-0161 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 881 / 572 रकबा 0-6198 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी कार्य हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमिश्नर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षों के रुबरु किसी मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें तथा प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, तो वह अपने स्तर पर राजस्व टीम गठित कर उभय पक्षों को विधिवत नोटिस जारी कर, उनके रुबरु विवादित भूमि के मौके व कब्जे काश्त में परिवर्तन के बिना मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश व नियमानुसार नेखमबन्दी कर, आदेश जारी होने के आगामी 15 दिवस में पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौके पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत (यदि आवश्यकता हो तो) तहसीलदार को नियमानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को आदेश दिया जाता है।

क्रमांक/राजस्व कोर्ट/2025/ 2286-89

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी हरकेन पुत्र पेलाद।
3. विप्रार्थीगण चंदु पुत्री जोधा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/बाखासर/धोरीमन्ना/धनाऊ।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
दिनांक 31/12/2025

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा